लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit, ...ated On 1-9-92, Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

पंचम माला; खंड 53, अंक 7, मंगलवार, 29 जुलाई, 1975/
7 श्रावण, 1897 (शक)

लोक सभा वाद विवाद

के

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ (iii) पंक्ति 16, "श्री एस0 एन0 सिंह" के स्थान पर
"श्री शिवनाथ सिंह" पढ़िए ।"

विषय-सूची
CONTENTS

अंक 7 मंगलवार, 29 जुलाई, 1975/7 श्रावण/1897 (शक)

No. 7 Tuesday, July 19, 1975/Sravana 7, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
(श्री टी० आर० देवगिरीकर का निधन)	(Death of Shri T. R. Deogirikar)	1
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	1—6
सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति :— कार्यवाही सारांश	Committee on Absence of Members from Sittings of the House— Minutes	7
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
37 वां और 38वां प्रतिवेदन तथा समिति के अध्ययन दल 1 और 2 के प्रतिवेदन	Thirty Seventh and thirty eighth reports and Reports of Study Group I and II	7
दिल्ली विक्रय कर विधेयक	Delhi Sales Tax Bill	8—11
विचार करने का प्रस्ताव, वर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	Motion to Consider, as reported by Select Committee—	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	8—9
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	9—10
खंड 2 से 75 तथा अनुसूचियां और खंड 1	Clauses 2 to 75 and the schedules and Clause 1	11
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	11
भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक	Defence of India (Amendment) Bill	11—28
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	11—12
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	12—13
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali	13
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	14
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	14—15

विषय	Subject	Page
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Uraon	15—16
श्री राम हैडाऊ	Shri Ram Hedaoo	16
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	16—17
श्री एस० ए० मुरुगन्तम	Shri S. A. Murugananthan	17—18
श्री सी० के० जफर शरीफ	Shri C. K. Jaffer Sharief	18
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	18—19
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan	19
श्री स्वर्ण सिंह सौखी	Shri Swaran Singh Sokhi	19—20
श्री नाथु राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	20
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	20—21
श्री इस्माईल हुसैन खां	Shri Ismail Hussain Khan	21
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	22
श्री अरबिन्द बाला पजनौर	Shri Arvinda Bala Pajanor	22—23
श्री शिवनाथसिंह	Shri Shivnath Singh	23—24
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	24
श्रीमती रोजा देशपाण्डे	Shrimati Roza Deshpande	24
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	25
श्री आर० पी० यादव	Shri R. P. Yadav	25—26
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	26—27
खंड 2 से 11 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2 to 11 and 1	27
	Motion to Pass	27—28
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	28
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	28
केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) विधेयक	Kerala Legislative Assembly (Extension of Duration) Bill	29—35
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha—	
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	29
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	29—30
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	30
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	30—31
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanthan	31

विषय		SUBJECT	PAGE
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया		Shri C. H. Mohamed Koya	32
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली		Shri Ramchandran Kadannappalli	32—33
श्री पी० एम० सईद		P. M. Sayeed	33—34
खंड 2 और 1		Shri Clauses 2 and 1	35
पारित करने का प्रस्ताव		Motion to Pass	35
सरकारी भाषा सम्बन्धी समिति के गठन के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत		Stautory Resolution Re. Constitution of a Committee on Official Languages—adopted	35—37
समिति के लिए निर्वाचन—		Election to Committee..	
सरकारी भाषा सम्बन्धी समिति		Committee on Official Language	37—38
बैंककारी सेवा आयोग विधेयक		Banking Service Commission Bill	37
विचार करने का प्रस्ताव—		Motion to Consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी		Shrimati Sushila Rohatgi	38—39
श्री के० एन० मधुकर		Shri K. M. Madhukar	39—40
श्री वाई० सम० महाजन		Shri Y. S. Mahajan	40—41
श्री एस० एन० सिंह		Shri Shivnath Singh	41
श्री दरबारा सिंह		Shri Darbara Singh	41—42

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दाम णी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैट्टूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सुरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंड रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(हं)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रहमण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री]	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 जुलाई, 1975/7 श्रावण, 1897 (शक)

Tuesday, July 29, 1975/Sravana 7, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker in the Chair

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह दुखद सूचना देनी है कि श्री टी० आर० देव गिरिकर का पूना में 27 जुलाई, 1975 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री देवगिरिकर वर्ष 1950–52 में अस्थायी संसद के सदस्य थे। इसके बाद वह 1952 से 1962 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। श्री देवगिरिकर एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और उन्होंने गांधी दर्शन पर कुछ पुस्तकें लिखीं तथा संविधान का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और कई बार जेल गए थे। वह महाराष्ट्र की अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। 1958-60 के दौरान वह लोक लेखा समिति से भी सम्बद्ध रहे।

हमें अपने इस मित्र को खो देने का गहरा शोक है।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आसाम मैच कं० लिमिटेड के बारे में अतारांकित प्र० सं० 9365 के उत्तर को शुद्ध करना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं श्री सुब्रहमँण्यम की ओर से आसाम मैच कं० लिमिटेड के बारे में सर्वश्री अनादि चरण दास और पुरूषोत्तम काकोडकर के अतारांकित प्रश्न संख्या 9365 के 9 मई, 1975 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रख गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 9881/75]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम. 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1973–74 के और इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9382/75]

1975–76 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं वर्ष 1975–76 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति–खंड 1 और 2 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9883/75]

सहकारी चीनी मिल केलारस, जिला मुरेना के स्वामित्व में भूमि के बारे में 7–4–75 के अतारांकित प्र० सं० 5212 के उत्तर की शुद्धि

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं सहकारी चीनी मिल, केलारस,जिला मरेना के स्वामित्व में भूमि के बारे में श्री हुकम कन्द कछवाय के अतारांकित प्रश्न संख्या 5212 के 7 अप्रैल, 1975 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा । गया देखिए संख्या एल० टी० 9884/75]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 701 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 877 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9885/75]

नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलाप सम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : श्री जियाउर्रहमान की ओर से नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 की अवधि के नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण संबंधी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 9886/75]

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1975

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 850 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 9887/75]

सीमा सुरक्षा बल पदोन्नति और वरिष्ठता नियम, 1975

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

मैं सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा दल (अधीनस्थ अधिकारी और अधीन अधिकारी) पदोन्नति और वरिष्ठता नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 419 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी० 9888/75]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिये कतिपय विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) नियम, 1975

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) :

मैं श्री अरविंद नेताम की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए कतिपय विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 12 जुलाई , 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 856 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए संस्थाओं की उपयुक्तता) नियम, 1975 जो दिनांक 12 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 857 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 9889/75]

भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 की समीक्षा तथा प्रतिवेदन तथा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री प्रभुदास पटल की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) राजस्थान राज्य कृषि–उद्योग, निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9890/75]

मजगाँव डाक लिमिटेड, बम्बई तथा गोआ शिपयार्ड, वास्कोदीगामा, गोआ के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोदिगामा, गोआ का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखो गयो देखिये संख्या एल० टी० 9891/75]

निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० चट्टोपाध्याय): मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 को उपधारा (3) के

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अकार्बनिक रसायन निर्यात (निरीक्षण) संशोधन (संशोधनकारी) नियम, 1975 जो दिनांक 14 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1813 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अकार्बनिक रसायन निर्यात (निरीक्षण) संशोधन (द्वितीय संशोधनकारी नियम,) 1975 जो दिनांक 14 जून, 1975 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1814 में प्रकाशत हुए थे।

(3) कालीन निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 14 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1815 में प्रकाशित हुए थे।

(4) काजू गिरी निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन, नियम, 1975 जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1893 में प्रकाशित हुए थे।

(5) शार्क और मछलियों के सूखे पंख और उदर निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1894 में प्रकाशित हुए थे।

(6) स्टेनलेस स्टील बर्तन निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1975 जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1994 में प्रकाशित हुए थे।

(7) पारेषण लाइन स्तम्भ (गण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1995 में प्रकाशित हुए थे।

(8) इस्पात ट्रंक निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1966 में प्रकाशित हुए थे।

(9) खनिज और अयस्क वर्ग—1निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 5 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2073 में प्रकाशित हुए थे।

(10) बिजली के पंखों का निर्यात (गुण-प्रकार, नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं० आ० 2269 में प्रकाशित हुए थे।

(11) कालीन निर्यात (गुण-प्रकार, नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2272 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9892/75]

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (पहला संशोधन) नियम, 1975

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कोयला खान श्रम कल्याण निधि (पहला संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 475 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9893/75]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का वर्ष 1972—73 का प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन नियम, 1975

श्री डी० पी० यादव : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1972—73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वर्ष 1972—73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 9894/75]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें), संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 जुलाई 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 855 में प्रकाशित हुए थे

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 9895/75]

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही सारांश

श्री सिद्दय्या (चामराज नगर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 22 वीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

37वाँ और 38वाँ प्रतिवेदन और समिति के अध्ययन दल 1 और 2 के प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकरा झार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वित्त मन्त्रालय (बैंककारी विभाग)—बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(2) गृह मन्त्रालय—अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय अनुदान के सम्बन्ध में 26वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 38 वां प्रतिवेदन।

(3) समिति के अध्ययन दल 1 के मई–जून, 1975 में कलकत्ता, गौहाटी, शिलांग और हैदराबाद के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

(4) समिति के अध्ययन दल 2 के जून, 1975 में बम्बई, गोआ, बंगलौर, मद्रास और त्रिवेन्द्रम के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

———

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): अब मद संख्या 19 को विचारार्थ लिया जाता है। क्योंकि इस विषय पर पहले से चर्चा चल रही थी। क्या आपने मद संख्या 18 को पहले लिए जाने की अनुमति दे दी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप भली भांति जानते हैं कि सरकार कार्यसूची को बदल सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपातकालीन स्थिति का बहाना लेकर ये सब बातें नहीं होनी चाहियें। मन्त्रीगण अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर सकते।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे इस बारे में विरोधी दलों के सदस्यों से भी परामर्श करना चाहिये था। हम से यह भूल हो गयी है।

दिल्ली विक्रय कर विधेयक, 1973
DELHI SALES TAX BILL, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रवर समिति ने विधेयक पर विस्तार से विचार किया है और कुछ संशोधन स्वीकार किए हैं । मैं सभा को कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में ही बताना चाहता हूं ।

विधेयक के मूल प्रारूप में निर्माता और खुदरा व्यापारी के सम्बन्ध में कर योग्य राशि क्रमश: 15,000 और 50,000 रुपये थी । प्रवर समिति ने इसे बढ़ा कर क्रमश: 30,000 और 1,00,000 रुपया कर दिया है । इस प्रकार कम बिक्री वाले बहुत से व्यापारी कर भार से मुक्त हो जायेंगे ।

10 रुपये से अधिक के लिये ही व्यापारी को रसीद देनी होगी । मूल विधेयक में यह राशि 5 रुपये थी ।

विधेयक में यह व्यवस्था भी की गयी है कि बिक्री कर अधिकारी एक निश्चित समय में ही पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करे ।

आयकर विभाग द्वारा देरी से पैसा वापिस करने पर ब्याज दिये जाने का उपबन्ध किया गया है । इसी प्रकार व्यापारियों द्वारा सरकार को देर से भुगतान करने पर भी ब्याज देने की व्यवस्था की गई है । बिक्री कर आयुक्त को उपयुक्त मामलों में घोषणा पत्रों को अपने संरक्षण में रखने और उनके उपयोग के लिये जमानत मांगने का अधिकार होगा । कुछ गम्भीर अपराधों के सम्बन्ध में, दण्ड को कठोर किया गया है । कर की सामान्य दर 7 प्रतिशत निश्चित की गयी है ।

प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर, जो सामान्यत: विलासता की वस्तुयें होती हैं, प्रवर समिति ने दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है । घोषित वस्तुओं पर राज्यों द्वारा कर लगाये जाने के सम्बन्ध में विधेयक में मूलत: 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा थी इसे बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का संशोधन पेश किया जा रहा है । ये वस्तुयें दूसरी अनुसूची में आती हैं ।

जिन होटलों में कैबरे, नाच्च आदि पेश किये जाते हैं, वहां परोसे जाने वाले पेय और खाद्य पदार्थों पर 40 प्रतिशत कर लगाने का उपबन्ध किया गया है । प्रवर समिति ने छट वाली सूची में कुछ और वस्तुओं को विशेष रूप से जोड़ा है ।

प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों का समावेश विधेयक में कर दिया गया है । कुछ सिफारिशें जो विधेयक में नहीं जोड़ी गई हैं, यदि सरकार उन्हें मानने का निर्णय करे तो उन्हें विधेयक में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके लागू किया जा सकता है ।

श्री रामावतार शास्त्री ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि कोयला, मिट्टी का तेल और दियासलाई को छूट वाली सूची में शामिल किया जाये इनका उपयोग अधिकांश गरीब लोग करते हैं । परन्तु कोयले को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें विशेष महत्व की वस्तुयें आती हैं । इन वस्तुओं पर किस सीमा तक कर लगाया जा सकता है, उस पर पहले ही अंकुश

लगा हुआ है। इस समय उसकी सीमा 4 प्रतिशत है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर भी लकड़ी के कोयले को, छूट वाली वस्तुओं की सूची में शामिल करने की सिफारिश प्रवर समिति ने की है, और उसे उस सूची में शामिल किया जा रहा है तथा उस पर कोई बिक्री कर नहीं लगेगा।

मिट्टी के तेल और दियासलाई पर दिल्ली के पड़ौसी राज्यों में सामान्य दर पर बिक्री कर लिया जाता है। सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि मिट्टी के तेल और दियासलाई पर आरम्भ से ही यह कर लगाया जाये जो क्रमशः 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत से अधिक न हो। बहुमत से की गई सिफारिश मान लेने का विचार किया गया है तथा कानून के लागू होने पर उन पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The objectives of the Bill are very good. The Recommendations of the Select Committee, to whome the original bill was referred, have been incorporated in this Bill. This Bill is very important for Delhi. Efforts have been made through this Bill to charge sales tax more or less at the rates obtaining in other States.

In general I agree ulith the recommendations of the Committee, but I have given a note of dissent regarding sales tax on coal, match box and kerosene oil because these things are mostly used by the poor people. This is an anti-people policy.

I feel that taxes should be charged at the source. Effort has been made through this Bill to impose taxes at the source. As I have stated earlier, kerosene oil, coal and match-boxes should be exempted from the taxes. The prices of common household fuel has been on the increase. The common people who belong to lower strata of society, should be exempted from this tax. On the other hand, the tax-evaders. Smugglers, capitalists and monopolists should be brought within the grip of such taxes. These people should be taxed properly.

My other submission is that strict action should be taken against tax-evaders. those who indulge in tax-evasion, should not only be fined but they should be punished too. Rather I am of the view that those officers who help tax-evasion, should also be brought to book. In this connection, I may remind the House that Committee on Taxation has also recommended that there should be a provision in the Bill to penalise officers conniving at or colluding with the tax-evaders.

It is strange that when I opposed the taxation on Coal, Kerosene-oil and Match-boxes in the Committee meeting my friends from Markist Party and the Jan Sangh did not raise their voice. I do not find them here. But outside this House, they raise their voice against the imposition of these taxes. They are playing a double game. I think, Government should accept the recommendations of the Select Committee in toto and this new amendment should not be accepted. I am sure this Bill will be of great help in bringing to book, the tax-evaders and increasing the revenue of the Government. But at the same time I feel that this Bill will be all the more a perfect one if the suggestions made in my note of dissent are accepted.

I support the broad features of the Bill.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सदन का आभारी हूं कि उसके द्वारा बिना चर्चा के ही यह विधेयक पारित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य महोदय द्वारा प्रवर समिति जिन सिफारिशों का उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ का उत्तर तो मैंने विधेयक पुरःस्थापित करते हुए ही दे दिया था। वित्त विधेयक के संशोधन द्वारा विक्रय दर को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। यह दर कम भी की जा सकती थी। विक्रय कर की इस दर को वित्त विधेयक के अनुरूप लाने के उद्देश्य से ही वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सदस्य महोदय द्वारा कोयला, माचिसों तथा मिट्टी के तेल पर लगाये गये बिक्री-कर का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कर पड़ौसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में काफी कम हैं तथा इसे दिल्ली की वितरण प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए ही लगाया गया है।

सदस्य महोदय ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात भी कही है जिनकी कर-परवंचन में सांठ-गांठ रहती है। हमें आशा है कि वर्तमान विधेयक से हमें इस कार्य में भी कुछ सहायता मिलेगी। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई पूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व हमें राज्य सरकारों आदि से परामर्श करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस पर समग्र रूप से विचार कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे। खण्ड 2 और 3 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि :

> "खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 के लिए केवल एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 15--

"तीन पैसे" शब्द के स्थान पर "चार पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

(श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 5 से 75, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 75, the First Schedule, the Second Schedule, the Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक--जारी

DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा 28 जुलाई, 1975 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे :

"कि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री झारखंडे राय अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): It is for the first time in 28 years of independence that the power of repression has been made use of against rightist reactionary, Communal and semi-fascist forces operating in the country and

[Shri Jharkhande Rai]

that is why we the Communists, welcome this with an open heart. But at the same time, I may caution the Government that this is only the first strike against these forces. They will have to be crushed completely. We fully support the economic programme announced by the Prime Minister on the 1st July, 1975. But in this connection also, my submission is that in this programme no clear mention has been made about the elemination of present capitalistic set up. Something must be done to change this basic structure.

Shri Minoo Masani has misguided a pious person like Shri Jaiprakash Narayan. Although there was a time when Shri Masani was a staunch supporter of socialism who inspired many young men through his book "Why Socialism in India". But he is a completely changed man now. I want to know whether he too has been arrested or not?

The roots of reactionary forces in the country are very deep. These are spread in the palaces of ex-rulers, in the houses of big business and in the mandis dominated by the moneyed people. The time has now come when we should strike a fatal blow to these forces. Let the Government use its enormous powers during this Emergency to annihilate these forces.

It is a matter of regret that of late the D.I.R. has begun to be misused. For instance, the Editor of 'Janmorcha', published from Lucknow and Faizabad was arrested and released only at the intervention of some persons from the Centre. If this type of misuse is allowed to continue, it will be very unfortunate for the country.

My other submission is that in Mirzapur and Renukot the Members of banned organizations like the R.S.S. and Lok Sangarsh Samiti have not been arrested. If the Government has any courage, it should apprehend Shri Sangram Singh, who is the founder of the Samiti. This Emergency should be properly utilized for peaceful working of industrial concerns and establishing good relations between the workers and the management. It should also be used for curbing the obscene literature and films.

An attempt should be made to curb rumours. Many misunderstandings are erupting in the minds of innocent people. If this continues, it will be difficult to achieve the objects aimed through MISA and DIR. An attempt should also be made to curb down the activities of the B.B.C. and the Voice of America, who many a time indulge in broadcasting misleading news. Several old retired officers have been called back for the purpose of making effective censorship machinery. But this issue should not only be considered from administrative point of view but also from the political standpoint.

Lastly, I want to submit that the people belonging to banned organizations who are in Government service, should be thrown out of service. The vigourous drive which was started by Shri K. R. Ganesh, against smuggling, should be intensified. The naxalites who are behind the bars, should be treated properly. We do not agree with Shri Jagjivan Ram that only one-party Government can be a stable one. The secret of stability lies in pragmatic approach and common programmes.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं भारत रक्षा संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य उन आन्तरिक समस्याओं को विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाना है, जिनकी सम्भावना आपात स्थिति की घोषणा के बाद हो सकती है। देश की अखंडता तथा शांति को

बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो गया है। हमें मालूम है कि देश में आज साधारण सी बातों के लिए घेराव, हड़ताल तथा बंद आदि का आह्वान किया जाता है। निर्वाचित विधायकों को लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य नहीं करने दिया जाता। बिहार तथा गुजरात राज्य इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इस प्रकार की चुनौतियों से हमारे देश में लोकतंत्र को ही खतरा हो गया है। यही कारण है कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर, वर्तमान संशोधन सदन के समक्ष लाना पड़ा है। सरकार यदि उपयुक्त समय पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा न करती, भारत रक्षा अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन न करती, तो सम्भवतः देश में अराजकता फैल जाती। उस स्थिति में देश पर बाहरी आक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता।

आपातकालीन स्थिति का एक सुखद परिणाम यह निकला है कि मूल्यों में कमी आई है। विश्व के अन्य देशों में जहां 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, वहां भारत में मूल्य कम हुए हैं।

गत 8 या 9 महीनों के दौरान सरकार ने मूल्यों तथा आर्थिक विकास के मामलों में भारी सफलता प्राप्त की है लेकिन विपक्ष इन सफलताओं का मूल्यांकन करने के बजाय देश में अशान्ति और अव्यवस्था तथा लोकतंत्र को खतरे में डालने का कार्य करता रहा है। अब गत 3 सप्ताह में उत्पादन बढ़ा है और समूचे देश के उद्योगों में सम्पूर्ण अनुशासन है। स्कूलों और कालेजों में भी शान्ति और व्यवस्था है। अतः मैं यह कह सकता हूं कि इस संशोधन और भारत रक्षा अधिनियम पूर्णतः उचित है। और मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): While strongly supporting the amendments in the D.I.R. being brought forward, I want that common man should also be benefited by this measure. But the position is altogether different. Petty shop keepers have been arrested because they charged only 5 paise more on a cake of soap. Not a single wholesale dealer or big trader has been arrested under D.I.R. How many of such big traders or wholesale dealers have been arrested? What about the authorities who help them? Should they not be strongly dealt with?

Nowadays we read in newspapers that some officers are being retired compulsorily. But this punishment is not enough for such corrupt officers.

I regret to point out that some innocent persons have been arrested under M.I.S.A. For instance an 80 years old MLA in Bareilly has been arrested, because he had defeated a Minister in the elections. He was released on the intervention of Chief Minister. Similarly President of U.P. Muslim League, Dr. Shamim Ahmed Khan was arrested and he was released only after the Chief Minister intervened in the matter. What action is being contemplated to be taken against officers who have been misusing M.I.S.A. and D.I.R. and have been trying to unpopularise 20 point programme announced by the Prime Minister?

While we strongly support measures taken by Government to save Democracy from the right reaction, but misuse of powers by the authorities would not be tolerated. I request the Government that the names of officers, big traders and capitalists who are arrested should be announced over radio and published in the newspapers.

I, therefore, support this Bill.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं भारत रक्षा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। आंसुका और भारत रक्षा नियम आपातस्थिति में अनुशासन और शान्ति स्थापित करने हेतु लाये गये हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में आन्तरिक उपद्रवों को दबाने के लिए पहली बार आपात-स्थिति घोषित की गई है। यह कदम इसलिये अनिवार्य हो गया है क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इस देश में राजनीति को दूषित करना और लोकतंत्र को नष्ट करना एवं सत्ताधारी दल को राजनीतिक रूप से बदनाम करना चाहते थे। राजनीति में सभी कुछ अनिवार्य नहीं है। हर एक बात की सीमा होती है।

[श्री इसहाक सम्भाली पीठासीन हुए]

SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*

इन्हीं विचारधाराओं पर नियंत्रण लगाने के लिए आपातस्थिति की घोषणा की गई है।

देश में अराजकता फैलाने वाले कुछ राजनैतिज्ञों तथा राजनीतिक दलों पर निगरानी रखना अनिवार्य हो गया है। प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को इन शक्तियों के उपयोग से शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा। कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाये गये इससे पहले आर्थिक कार्यक्रम तथा नीतियां जिनका उद्देश्य सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता दूर करना था, कुछ तत्वों तथा कुछ कठिनाइयों के कारणवश पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किये जा सके। अब इन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकेगा।

अधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलों में अपने कर्तव्य के प्रति पलायन करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है तथा वे एक-दूसरे को बदनाम करने लगे हैं। इससे देश की प्रगति में सहायता नहीं मिलती है। अतः राजनीतिज्ञ एवं अधिकारी जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए।

जनता, राजनीतिज्ञ, समाचारपत्र तथा नीतियां देश की प्रगति के लिए अत्यावश्यक हैं। यदि इनमें अनुशासन नहीं होगा तो देश प्रगति नहीं करेगा। आंसुका और भारत रक्षा नियमों से इनमें अवश्य ही अनुशासन आयेगा और हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे।

देश में फासिस्टवाद की प्रवृत्ति पैदा हो रही थी। इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों ने बड़ी भूमिका निभाई है। समाचारपत्रों के ऐसे प्रचार हमारे देश के लिए अनावश्यक हैं।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने शंका व्यक्त की है कि इन कानूनों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोट) : भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी देश में असाधारण परिस्थितियां पैदा होती हैं तब सरकार को अधिक शक्तियां देने में कोई हानि नहीं है। देश में नफरत, अराजकता फैलाने वाले शरारती तत्वों तथा जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना अनिवार्य हो गया है। लेकिन जब हम सरकार और अधिकारियों को अधिकाधिक शक्तियां देते हैं तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इन शक्तियों का दुरुपयोग न होने पाये। यह भी सम्भव है कि अधिकारी वर्ग ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी राजनीतिक विपक्षियों के विरुद्ध इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार को इन शक्तियों का उपयोग करने वाले अधिकारियों पर कठोर निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन जहां निरीह लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है वहां आर०एस०एस० के नेता देश में निर्मुक्त भाव से घूम रहे हैं। ये अधिकारी आर०एस०एस० तथा आनन्द मार्ग जैसी शक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों तथा वामपंथी अतिवादियों का दमन करना आपात स्थिति का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कभी-कभी अधिकारी वर्ग इन शक्तियों के विरुद्ध अपनी इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा है। बल्कि वह इनका दुरुपयोग कर रहा है।

दिल्ली प्रदेश मुस्लिम लीग के कुछ नेता दिल्ली में गिरफ्तार किये गये हैं। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के आश्वासनों के बाद भी उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इन शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे हैं। इन सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।

अब समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया है। सेंसर के बिना समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता है। इन में देश के घटनाओं को सरकारी व्याख्याओं के सिवाये कुछ भी नहीं होता है। संसद सदस्यों के भाषणों का जनता नहीं सुन सकते और जनता के विचार संसद तक नहीं आ पाते हैं। जब मंत्रियों के भाषण और उनके उत्तर विस्तार से प्रकाशित किए जाते हैं तो सरकार को उन संसद सदस्यों, सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के--द्वारा व्यक्त विचारों, भाषणों का सारांश प्रकाशित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा न करने से जनता को यह कैसे पता चलेगा कि कितने सदस्यों ने सदन की बैठक में भाग लिया है और आपात स्थिति का समर्थन किया है। हम सरकार को अपना कार्य करते हुए देखना चाहते हैं। सभी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी और वामपंथी अतिवादी सदन से बहिष्कार कर गए हैं। जब सरकार ने स्थानीय अधिकारियों और पुलिस को इतनी अधिक शक्तियां दे दीं हैं तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्प संख्यकों के साथ न्याय किया जाये। उन्हें प्रधान मंत्री के नेतृत्व में दृढ़ विश्वास है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक, 1975 का समर्थन करता हूं। मुझे हर्ष है कि आपातस्थिति लागू करने से देश में कुछ परिवर्तन आया है। लेकिन हमें संशोधन करने मात्र से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमने अनेक कानून बनाये हैं। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कानूनों का नाम बदलने से हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। इन कानूनों को क्रियान्वित करना अधिक महत्वपूर्ण है।

'बाहरी आक्रमण और आन्तरिक उपद्रव' को 'बाहरी आक्रमण और आन्तरिक मतभेद' कहना अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन हमें उपद्रव की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आन्तरिक मतभेद ही है। आन्तरिक सुरक्षा के बिना देश की रक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। नागरिक सुरक्षा ही आन्तरिक सुरक्षा है। हमें इन कानूनों को सम्यक रूप से क्रियान्वित करना चाहिए।

यह विधेयक उचित समय पर लाया गया है क्योंकि हम देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं। पिछले एक या दो वर्ष से देश में हिंसा का वातावरण व्याप्त था। लोग सड़कों या गलियों में चलते हुए भयभीत होते थे। शिक्षक और छात्र तथा नियोजक और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध बिगड़ गये

[श्री कार्तिक उरांव]

थे । गुजरात में स्थिति विस्फोटक हो गई थी । वहां नेताओं का घेराव किया जाता था और उन्हें खुले आम धमकी दी जाती थ । ऐसी स्थिति में देश में बाहरी आक्रमण के बजाये आन्तरिक मतभेद से अधिक खतरा पैदा हो जाता है ।

हम अत्यन्त खतरनाक दौर में आ गए थे । कुछ लोग राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लग गए थे । ऐसे लोगों को तो छोड़ दिया गया जबकि छोटे लोगों को जेल में डाल दिया गया था ।

बड़े बड़े नेता प्रधान मंत्री को पदच्युत करने का प्रयास कर रहे थे । इन नेताओं ने इतना अधिक तुमुलनाद किया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा । इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधान मंत्री को 1971 और 1971 के चुनावों में भारी बहुमत मिला था । लोगों की यही इच्छा देश का कानून है ।

अत: हम सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का स्वागत करते हैं । हमें इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कानून कठोरता से लागू किये जायें ।

Shri Ram Hadaoo (Ramtek): Sir, in order to maintain internal security, civil defence it became necessary in a democracy to give more powers to Government. Abnormal situations have been created in the country. During the last two or three years the economy of the country has been deteriorated. The problem of unemployment amongst educated youths has become acute. The price of essential consumer goods soared very high. People have been deprived of their rights. In this situation agitations against the policies of Government took place in various parts of the country. The leaders of the Opposition parties lead these agitations. Government has got these powers to suppress the Opposition parties and to arrest the leaders of these parties.

I fear that these powers can be easily misused by the authorities against political and social workers to settle old scores. The blackmarketeers and those who have made black money must be sent to jail. The Government snould see that these powers are not misused by the authorities concerned. These powers should exclusively be used to put down anti-social elements like smugglers, hoarders, blackmarketeers etc. I suggest that in every Taluka, District and State there should be a committee consisting of political and social workers and these committees should see that there is no misuse of the powers given under this Bill.

It is not enough to have such a measure in the statute book. More important is to see that it is properly implemented and for that the cooperation of the people is necessary and it should be sought.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : भारत में श्री जयप्रकाश नारायण के वर्तमान आन्दोलन से स्पष्ट है कि वह तोड़-फोड़, जनता को गलत दिशा देने, समाचार पत्रों और उनके सम्पादकीयों पर नियंत्रण द्वारा जनमत को प्रशासन के विरुद्ध करने और जन-कार्यवाही की धमकी देने का मार्ग अपना रहे हैं । मुझे विश्वास है कि भारत रक्षा नियम के इस संशोधन द्वारा दंगों तथा दंगा करने वालों पर रोक लगेगी ।

भारत रक्षा नियम के उपयोग द्वारा हमें गरीब किसानों को तंग करने वाले जिमीदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। तथा तस्करों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने हमारी अर्थ-व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रखा है। हमें कर अपवंचन कर्त्ताओं को कुचलने का प्रयास करना चाहिए। नि:संदेह भारत भूमि पर कुछ शक्तियां हमारी अर्थ-व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को भंग करने का यत्न कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आंसुका के उपयोग द्वारा तस्करों, जमा खोरों, षड़यंत्र-कारियों, एवं कालाबाजारी करने के दोषी सभी व्यक्तियों को जेल में भेजा जा सकेगा।

यह सच है कि देश आपात्त स्थिति से गुजर रहा है अतएव सरकार के पास दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

विश्व के सभी महत्वपूर्ण पत्रों ने प्रधान मंत्री द्वारा आपात्तस्थिति की घोषणा को आवश्यक बताया है।

भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य किसानों तथा श्रम जीवी वर्ग को राहत देना तथा तोड़फोड़ के तत्वों को जेल में डालना है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : (तिरुनेलवेली) : भारत की स्वतंत्रता एवं आंतरिक सुरक्षा के हित में भारतीय साम्यवादी दल भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता है।

इन कानूनों की सार्थकता इन की क्रियान्वति पर निर्भर करती है।

तमिलनाडु सरकार तथा उसके मुख्य मंत्री आपातकालीन स्थिति तथा भारत रक्षा अधिनियम का घोर विरोध कर रहे हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। केवल उन्हीं प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो देश की आजादी का सौदा करने के लिए एकत्र हुए थे। किन्तु द्रुमुक दल ने प्रस्ताव पास किया है कि सभी देश भक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं आन्नद मार्गियों की प्रशंसा की है।

सैंसरशिप इतनी सख्त है कि संसद सदस्य जो भी सदन में बोलते हैं उसे समाचार पत्रों में नहीं छापा जाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के सैंसरशिप अधिकारी तमिलनाडु में हैं अथवा नहीं। हम 'राइजिंग सन' में प्रतिदिन देखते हैं कि भारतीय प्रजातंत्र तथा भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का मजाक उड़ाया जाता है।

संसद सदस्य श्री मुरासोली मारन द्वारा सम्पादित दैनिक मुरासोली में श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुछ चित्र प्रकाशित हुए हैं जिनमें उन्हें हिटलर के रूप में चित्रित किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सेंसर से इसकी अनुमति कैसे मिली।

लाखों लोगों की एक सभा में एक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों की निन्दा की गई थी। राज्य की स्वायत्तता की मांग करने हेतु एक सम्मेलन बुलाये जाने का प्रयास किया गया। एक अन्य सभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इंदिरा गांधी के बाद भी बना रहेगा।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण
Summarise translated version of the English translation of speech delivered in Tamil.

[श्री एस० ए० मुथ्थावन्तम]

हमें प्रतिदिन देश के विभिन्न राज्यों में तस्करों, षड़यंत्रकारियों की गिरफ्तारी संबंधी समाचार पढ़ने को मिलते हैं। क्या तमिलनाडु में भी तस्करों, चोरबाजारियों, जमाखोरों, कर अपवंचकों की गिरफ्तारियां हुई हैं मुझे सन्देह है कि तमिलनाडु सरकार षड़यंत्रकारियों तथा इस प्रकार के लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है।

यदि तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय स्वयं संघ, जनसंघ तथा इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी ताकतों का स्वर्ग नहीं बनाना है तो केन्द्रीय सरकार को आपातकालीन स्थिति तथा भारत रक्षा अधिनियम के उपबंधों को सख्ती से लागू करना चाहिए। तमिलनाडु में केन्द्रीय सैंसर अधिकारी को पूरे उत्साह के साथ काम करना चाहिए ताकि आपातकालीन उपबंधों का मजाक न उड़ाया जा सके।

श्री सी० के० जाफर शरीफ (कनकपुरा) : आपातकालीन स्थिति की घोषणा 25 जून, 1975 को की गई थी। जनता में उसके बार में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई और यह कहा जा रहा है कि यह कार्यवाही पहले की जानी चाहिए थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस अवसर का उपयोग करते हुए जनता का जीवन-स्तर सुधारने के लिये और कानून लाये जाने चाहिए। पहली बात तो यह है कि फिल्मों में सैंसरशिप सम्बन्धी नियम सख्त बनाये जाने चाहिए। दूसरे विभिन्न होटलों में 'कैबरे' बंद होने चाहिए। तीसरे नशाबंदी पूर्णतः लागू की जानी चाहिए। चौथे सभी प्रकार के अरुचिकर तथा अवांछित साहित्य पर पाबन्दी लगनी चाहिए। इस संशोधन विधयक द्वारा सरकार को सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा प्रधान मंत्री के 20 सूत्री- कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr): I whole heartedly support this Bill. The opposition parties wanted to disturb the peace of the country and create an atmosphere of violence in a planned manner. Their plans were foiled by timely action. Had this ordinance been brought earlier it would have helped the people a lot.

Certain leaders of the opposition parties wanted to disturb the internal situation under the leadership of Shri Jaya Prakash Narayan and with collaboration of foreign powers. The people now feel greatly relieved and everything is going on smoothly.

The provisions made have been welcomed by all except those who used to say that the situation of 42 has reached in the country and used to raise slogans in support of Shri Jaya Prakash Narayan.

Socialist party emerged out of the congress party but when Shri Jaya Prakash Narayan could not establish his leadership he left politics and joined Sarvodaya movement, but even there he had malafide intentions.

Ever since he has taken over the leadership of all opposition parties, each party has been split into two. The opposition parties have been ruined under his leadership, but the country has been spared from such a ruination by the timely action of the Government.

I also feel that these powers may not be allowed to be misused. Government should also see that there is no misuse of power by the authorities con-

cerned. Government should keep strict vigilence on those officials and officers who misuse their powers. With these words, I support the Bill.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): Mr. Chairman, Sir, I support the Defence of India (Amendment) Bill, 1975. In fact a serious situation has been created in our country by the opposition parties who have been working in league with anti-social elements like smugglers and hoarders etc. The peace and stability of the country was seriously threatened. The atmosphere of violence had created a sense of insecurity among the people. It was in these circumstances that our Railway Minister Shri L. N. Mishra was assassinated by anti-social elements. Assault on M.L.A.s and other people had become the order of the day. In these circumstances it was considered necessary to bring the measure so that law and order could be maintained.

Shri J. P. Narayan calls himself 'Lok Nayak', Sarvodaya Leader and a follower of Mahatma Gandhi but he is not following the footsteps of Mahatma Gandhi. Instead of making Ashrams for welfare of the poor and Harijans he instigated students, Government employees and armed forces and still he claims to be Lok Nayak. Now after enforcement of Emergency the common man has felt greatly relieved. But still there are few officers who are putting obstacles in the way of effective implementation of Government's policies. Government should take stringent action against such officials.

The 20-point programme announced by the Prime Minister should be effectively implemented.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : भारत रक्षा अधिनियम, 1971 में पुनः संशोधन करने के लिए जो यह भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक, 1975 लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हू। देश की वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, इस विधेयक का लाना बहुत आवश्यक हो गया था पर ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों को जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिये क्योंकि जल्दबाजी करने से कानून में कुछ कमियां रह जाती हैं। कानून को सुस्पष्ट होना चाहिए।

वर्तमान संशोधनों के बिना भारत रक्षा अधिनियम अधूरा है। अधिनियम में इन संशोधनों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए और यदि कोई अधिकारी इसका दुरुपयोग करता है तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों को लागू करने में ज्यादा अनुशासित होना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

देश की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह भारत रक्षा अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में पूरा सहयोग दे।

वर्तमान आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए देश के प्रत्येक उद्योग को अपनी निर्धारित क्षमता के अनुरूप उत्पादन करना चाहिए। जो उद्योग उत्पादन नहीं बढ़ाते उन पर जुर्माना किया जाए। इससे हमे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषित 20-सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति में सहायता मिलेगी।

[सरदार स्वर्ण सिंह सोखी]

सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा परचून विक्रेताओं को जमाखोरी, चोरबाजारी तथा वस्तुओं की तस्करी न करने के प्रति सावधान किया जाना चाहिए और जो कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए उसे कड़ा दण्ड दिया जाए तथा जेल में डाल दिया जाए। हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा सरकारी मशीनरी की कुशलता बढ़ाई जाए जनता को भी अनुशासित किया जाए।

चोर बाजारी करने वाले, तस्कर और जमाखोर हमारे देश के लिए सबसे घातक हैं इन पर किसी किस्म की दया नहीं की जानी चाहिए।

भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा न किया जाए। उनकी सम्पत्ति जब्त की जाए तथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। कई मामलों में तो आजीवन कारावास का दण्ड भी दिया जाए तभी हम इस बुराई को अपने देश से दूर कर सकते हैं।

मैं तमिलनाडु के संबंध में भी दो चार शब्द कहना चाहता हूं। परसो मैंने उस राज्य का दौरा किया और जीवन बीमा निगम की जली हुई बिल्डिंग देखी मैंने इस प्रकार से जली बिल्डिंग पहले कभी नही देखी लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है मुझे बताया गया है कि भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत किसी किस्म की जांच हो रही है।

हम यहां कानून बनाते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं होता। अतः यदि हम इस अधिनियम के अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं तो इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh): Mr. Chairman, Sir, I support this Amendment Bill. During the last about 4 years the conditions in the country had become chaotic and it looked as if there was no administration worth the name. Normal life of the people had been disturbed on account of strikes, agitations and similar other activities.

Certain elements in the country were inciting students not to attend schools and colleges. People were exhorted to indulge in lawless activities. It is in these circumstances that the Government had to declare emergency. The present Bill is essential to tackle the disturbed situation in the country.

The Government machinery, which is responsible for implementing the policies and programmes of the Government, was not functioning properly. In the past our official machinery did not implement the progressive policies of the Government. A watch should be kept on the bureaucracy so that it functions properly and efficiently. It should be ensured that the provision of the Bill are not misused to harass petty shop-keepers. Persons indulging in anti-national activities should be punished by making use of these provisions.

डा० रानेन सेन (बारसेट) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रजातांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का सहारा लेकर कुछ लोगों तथा कुछ दलों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के प्रयास किए गए। हमारे विशेषाधिकारों और अधिकारों पर लगे बंधनों के बावजूद इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता हमें कई प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं कुछ लोग इन प्रजातांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर हमारे इन अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं इन लोगों और इन दलों को जो देश में प्रजातंत्र समाप्त करना चाहते हैं साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। इन साम्राज्यवादी

शक्तियों के ऐजेंट भारत में भी हैं और उसके बाहर भी। यही लोग जनता के तथाकथित प्रजातांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं अतः इस छोटे से संशोधन का बड़ा व्यापक अर्थ है और मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन इसका समर्थन करते हुए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि अतीत में इस अधिनियम के उपबन्धों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है।

दो वर्ष पूर्व जबकि भारत रक्षा अधिनियम कलकत्ता में लागू था निम्नलिखित घटना घटी। एक इण्डियन आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड है यह ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लि० की सहायक कम्पनी है और इसकी 60 प्रतिशत पूंजी की मालिक भी ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी है। यह एक बहुराष्ट्रीय निगम है जो देश का शोषण कर रहा है। इस कम्पनी के कलकत्ता यूनिट में कुछ श्रम विवाद हो गया और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इस कम्पनी के अधिकारियों ने बिना मामले की जांच किए यह कह दिया कि चूंकि यह एक गैस कम्पनी है और गैस भारत की रक्षा के लिए आवश्यक है और कर्मचारियों पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों पर भारत रक्षा अधिनियम लागू कर दिया। इस माह की 25 तारीख को खेतड़ी तांबा खान की मान्यता प्राप्त यूनियन ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा का समर्थन करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निश्चय किया। चूंकि सारे देश में धारा 144 लगी हुई है इसलिए यूनियन के प्रतिनिधि एस० डी० एम० से अनुमति लेने के लिए मिले। एस० डी० एम० ने कहा कि वह अपने भाषणों में प्रबंधक वर्ग की आलोचना न करें। क्योंकि सारे देश में भारत रक्षा अधिनियम तथा 'आंसुका' लागू है। यदि ऐसा रवैया जारी रहा तो लोग यह धारणा बना लेंगे कि यह नियम नियोक्ताओं के लाभ हेतु बनाए गए हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब तक भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने बड़े व्यापारी अथवा बड़े जमाखोर गिरफ्तार किए गए हैं। कलकत्ता में चावल की चोर बाजारी होती है। जो लोग एक, दो अथवा पांच किलो चावल की तस्करी करते हैं वह पकड़े जाते हैं पर पुलिस कभी इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं करती कि इन छोटे तस्करों को एक, दो अथवा पांच किलो चावल सप्लाई करने वाले लोग कौन हैं।

भारत रक्षा नियम आम जनता पर लागू न किया जाए क्योंकि जनता इस आपातकालीन स्थिति का समर्थन कर रही है। यह नियम उन लोगों पर लागू किए जाएं जोकि देश की अर्थ-व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं तथा भारत की आतरिक सुरक्षा को समाप्त कर रहे हैं।

श्री इस्माइल हुसैन खां (बारपेटा) : आपातकालीन स्थिति की घोषणा से पहले सभी राज्यों में अराजकता और अव्यवस्था थी किसी प्रकार का प्रशासन नहीं था और कोई एक दूसरे की परवाह नहीं करता था। भ्रष्ट अधिकारी सारा दोष सरकार पर लगाते थे हालांकि वह खुद इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे।

भारतीय बहुत सरल एवं शांतिप्रिय लोग हैं वह हड़तालों अथवा धरनों के पक्ष में नहीं हैं लेकिन प्रतिक्रियावादी शक्तियां सरकार को उसके कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं करने देना चाहती। आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा के बाद प्रशासन को कुशल बनाया गया है। हमें हर क्षेत्र में अन्तर स्पष्ट दिखाई दे रहा है उदाहरण के लिए रेलगाड़ियां अब समय पर चल रही हैं।

यह संशोधन विधेयक देश के पूर्वी भाग अर्थात आसाम के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आसाम एक सीमावर्ती देश है और उसकी सीमा तीन देशों के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही कुछ नागा और मिज़ो लोगों की गतिविधियों के कारण आसाम की स्थिति अशान्त हो गई है और इन तत्वों के दमन के लिए आसुंका' और भारत रक्षा अधिनियम के उपबंधों को लागू करना बहुत आवश्यक है।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): The laws which curtail fundamental rights of the people do not appear to be good but they have to be passed because of the special situation prevailing in the country. There is emergency in the country and the present measure has been brought forward to deal with the emergent situation. The Government should withdraw this measure soon after the emergency is over.

Certain officials are misusing the provision of DIR and MISA. Some innocent people are being harassed. It should be ensured that these provisions are not misused.

There are certain Government officials whose assets are disproportionate to their income. Use of DIR and MISA should be made against such officials.

Smuggling, hoarding, etc. are possible only with the connivance and collusion of concerned Government officials. Such officials should be handled up under the provision of DIR and MISA which are of course to be used against black marketeers, hoarders and smugglers.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। देश में जब कि आपातकालीन स्थिति है इस विधेयक के विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक तकनीकी विधेयक है।

जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है यह कहा गया है कि कुछ स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह छह महीने की अवधि के लिये किये गये हैं। केवल सत्तारूढ़ दल ही इसका समर्थन नहीं कर रहा अपितु साम्यवादी दल के लोग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा अन्ना द्रमुक इत्यादि दलों के लोग भी इसकी कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं और देश की एकता को बचाना चाहते हैं।

कुछ लोग देश की एकता में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और वह बड़ी चतुराई से चुपके चुपके अपना कार्य कर रहे हैं। जब देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई तो हमें यह आशा थी कि देश के विभिन्न भागों की वर्तमान स्थिति के बारे में सदन में एक प्रतिवेदन पेश किया जाएगा।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि ऊपर से तो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने का दम भरते हैं तथा भारत रक्षा नियमों और आपात की घोषणा आदि के समर्थन की बातें करते हैं, परन्तु वस्तुतः उनकी बातों और कार्यों से विघटन की गंध आती है। जब प्रधान मंत्री मदुरै में पम्पन पुल का उद्घाटन करने गई थीं, तो उनके उद्घाटन भाषण को उस क्षेत्र के लिये ऐतिहासिक भाषण बताते हुये उन्होंने कहा कि, 1947 से पहले भारत एक था, 1947 के बाद दो हो गये, और वर्ष 1971 में बंगला देश बन जाने के कारण तीन तथा आगे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस कथन का क्या अभिप्राय है, यह सभा स्वयं अनुमान लगा सकती है। वह अपने आपको दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेता समझते हैं तथा विघटन की बातें करते रहते हैं। आपात से पहले उनकी बातें सहन की जा सकती थीं परन्तु आपात के बाद भी उनकी गतिविधियां जारी हैं। 6 जुलाई, को उन्होंने एक बैठक बुलाई थी तथा उसमें उन्होंने आपात की आलोचना की थी। उस बैठक में बी० बी० सी० के प्रतिनिधि तथा दूरदर्शन विभाग को आमंत्रित किया गया था। वहां से उन्होंने समाचार एकत्र किये थे तथा चित्र लिये थे। जो कि आसानी से दूतावासों के माध्यम से विदेशों में भेजे गये और जिनका यूरोप तथा अमरीका और अन्य देशों में प्रसारण तथा प्रदर्शन किया गया। यह समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार उनकी गतिविधियों को कैसे सहन कर रही है।

इस विधेयक का उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखना है। अतः इसका समर्थन किया जाना चाहिये। तमिलनाडु के मुख्य मंत्र इस का खुले रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। वह जन सभाओं में खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि यदि मुझे अपना पद छोड़ना पड़ा तो राज्यपाल को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा अर्थात् केन्द्रीय सरकार को भी अपने पद से हटना पड़ेगा।

मुझे आशा है कि इस विधेयक के पास किये जाने के बाद असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाएगी और इस विधेयक की भावना का पालन किया जाएगा। जब आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा भारत रक्षा नियम लागू किये गये थे तो यह कहा गया था कि इनकी भावना का पालन किया जाएगा। परन्तु तमिलनाडु में इन का खुला उपहास किया जा रहा है। वहां आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों का प्रयोग छोटे अपराधियों के लिये किया जा रहा है। आम जनता को सताया जा रहा है। इनके दुरुपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिये।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): The Bill has been described as a technical one and the amendments being made have also been defined as technical amendments. The Bill provides that the amendments relating to Maintenance of Internal Security and the Defence of India will remain in force only upto six months after the termination of Emergency. These provisions should be permanent and should not to cease to exist after six months after the termination of Emergency.

So far as the spirit of the Bill is concerned, to my mind internal security is more important than the external threat. The anti-social forces are exposed wherever there is external threat and this fact has been testified during the Chinese aggression and Pakistan's attack. The people are become aware about them and they remain no longer in the position to carry on their activities. But these anti-social forces are not exposed in the event of internal threat to our security and they carry on their nefarious activities of disintegrating the country and obstructing the progress. They bring the country at the brink of civil war. We have seen that had the Government, the Prime Minister and the President had not taken any action in time our internal security would have been in great danger. So I want that the words "internal security" should be made a permanent part of the bill.

As I have said earlier that internal insecurity is more dangerous than external threat. The question now arises as to why this internal insecurity arose? The simple answer is that there are certain elements in the country who do not want the present Government. They had not been able to overthrow the Government by vote and so they have adopted a second path. They obstructed the rate of growth, they took advantage of the defects in the administration and they indulged in so many other activities. As these factors are responsible for the threat to our internal security. Even in our administration there are certain officers who have links with Jan Sangh, RSS and Anand Margis. The Government should be well aware about them and action should be taken against them under DIR and MISA. There are certain such element also who are supporting the proclamation of emergency and the 21 point programme only in name. Actually they are against it. Action should also be taken against such elements.

[Shri Shivnath Singh]

The Government should be cautious about the industrialists who are playing double game. On the one hand they are supporting the emergency, but on the other hand they are not making production accordingly to the installed capacity of their factories. Action should be taken against them. In short I would say that action should be taken against the Government officers, industrialists and other institutions who are supporting the Government out of fear in name only, but actually whose activities are against the interests of the Government and the common man.

I support the Bill.

Shri Partap Singh Negi (Garhwal): Mr. Chairman, Sir, I extend my support to the Defence of India (Amendment) Bill. The opposition members who used to say that independence has been curtailed are not present in the House, but it is only they who compelled the Government for the proclamation of emergency. None can support the supression of independence. But there is great difference between independence and permissiveness or open licence. We have certain rights but at the same time we have certain duties. We cannot tolerate permissiveness because that will ruin the country altogether. My opposition friends should understand this difference between independence and permissiveness.

Had the Prime Minister not taken timely action the country would have been ruined and so I support this measure.

श्रीमती रोजा देशपाँडे (बम्बई—मध्य) : महोदय, इस विधेयक का समर्थन करती हूं, क्योंकि मुझे आशा है कि इसका उपयोग देश की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सुरक्षा के लिये किया जाएगा तथा उन शक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा जो न केवल एकाधिकारियों तथा बहुराष्ट्रीय निकायों अपितु आनन्दमार्गियों जैसे सी० आई० ए० के एजेन्टों की सहायता से देश की अर्थ व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के समक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है । उसका स्वागत है । देश की जनता और कर्मकारों ने इस आपात की घोषणा तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रगति का सूचक समझा है । इसीलिये उन्होंने खुले दिल से इसका स्वागत किया है । देश की जनता तथा कर्मकार यह महसूस करते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी कुछ करने को कृतसंकल्प हैं। इससे उनमें नई जागृति पैदा हुई है । इसलिये वे न तो आपातकालीन स्थिति से घबराये हैं और न ही भारत रक्षा नियमों अथवा आंसुका से भयभीत हैं अपितु वे तो सहयोग देना चाहते हैं । परन्तु हम महसूस करते है कि केवल जनता के सहयोग से ही 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकेगा । इसके विपरीत हमें उन तत्वों से सावधान रहना होगा, जो अभी भी तोड़फोड़ करने पर आमादा हैं । इस समय ऐसा लगता है कि वे शान्त हो गये हैं, परन्तु वे किसी भी समय अवसर मिलने पर सिर उठा सकते हैं । हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आंसुका और भारत रक्षा नियमों का प्रयोग कर्मचारियों के विरुद्ध न हो । एकाधिकारी तथा निजी नियोजक आपात का लाभ उठा कर विभिन्न उद्योगों में कर्मचारियों को सता रहे हैं और उत्पादन में रुकावट डाल रहे हैं । यदि सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है तो आंसुका और भारत रक्षा नियमों का प्रयोग कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं अपितु उन एकाधिकारियों के विरुद्ध होना चाहिए, जो कि कर्मचारीयों को तंग करके कुछ न कुछ कार्यवाही करने को उकसा रहे हैं ।

आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है, परन्तु सरकार को अपने कार्य से न कि केवल शब्दों से यह सिद्ध करना चाहिये कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, एकाधिकारियों तथा कर अपवंचकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। यदि जनता को यह विश्वास हो गया कि भारतीय सुरक्षा नियमों का देश के शत्रुओं के विरुद्ध उपयोग किया जाता है, तो वह इस से नहीं घबरायेगी।

Shri M. C. Daga (Pali): Mr. Chairman, Sir, I am quoting from today's Indian Express. The top news is as follows:—

"Orissa girls told to shun tight apparel".

Girls in Orissa have been told to discard tight fitting apparel and stretch pants and the like. They have been warned against modfits by the police.

There is another newspaper report that the boys in Orissa with long hair were caught by the police and their hair were got cut. The report says that the police are an anti-hippie drive for the past one month and they consider mini-skirts and modfits 'hippie culture'.

Are all these things covered under DIR? Is it not gross misuse of DIR?

DIR means that the nation is passing through crisis and it has been enforced to save the nation from crisis. It is a good opportunity for the Government to clean the administration and eradicate corruption. The Government should take advantage of the opportunity and direct all the officer, Member of Parliament, Members of Legislatures and Members of Panchayat Samities etc. to declare their assets and that should be published in government gazette. By doing so we would be able to eradicate corruption to a very great extent.

There should be a parliamentary committee to see that the rules framed under DIR are according to the spirit of the Act.

Shri R. P. Yadav (Madhepura): The bill has been brought to replace the ordinance promulgated by the President on 30th June, and it's main object is to cover 'internal disturbance' also.

It is an admitted fact that internal enemy is more dangerous than external enemy. We have faced two external aggressions with great valour in the past. But the internal enemies were threatening our security. The situation was so worse that even the Railway journey was not safe and are use to thank one's stars on reaching the destination safely.

The situation of the country has changed altogether after the proclamation of emergency. Raids have conducted on the offices of RSS and Anand Margis and arms and ammunition of foreign make have been unearthed from their offices. Some documents have also been found, which have exposed as to what they were doing. This shows that they were trying to destroy the country. Shrimati Indira Gandhi took a timely action and saved the country from a great danger by declaring emergency and curbing such forces.

Before emergency indiscipline was the order of the day. No body was ready to work. But after the emergency the situation has improved a lot. The people in general have welcomed the promulgation of emergency and there has been great improvment in discipline.

[Shri R. P. Yadav]

MISA and DIR have been used against the profiteers, hoarders and politicians who were working against the interests of the country. I would suggest that DIR and MISA should be used against the corrupt officers, who have amessed huge wealth by illegal means.

The emergency has been promulgated in public interest and so it should continue for one or two years.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मुझे खुशी है कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिला है। यह स्वाभाविक ही है कि जिन सदस्यों ने आपात की घोषणा का समर्थन किया था, वह इस विधेयक का भी समर्थन करें। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान बिगड़ी हुई आन्तरिक सुरक्षा का मुकाबला करने के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में संशोधन करना है।

आन्तरिक शान्ति बनाये रखना अति आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र आन्तरिक शान्ति के बिना प्रगति नहीं कर सकता। परन्तु कुछ प्रतिक्रियावादी तथा विनाशकारी शक्तियों ने एक साथ मिल कर इतनी चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर दी थी जो कि देश की प्रगति के लिये एक खतरा बन गई थी। वे लोकतंत्र के नाम से लोकतंत्र का गला घोंट रहे थे। निर्वाचित विधान सभाओं को विघटित किये जाने की धमकी दी जा रही थी। देश के कुछ भागों में विस्फोटात्मक स्थिति पैदा हो गई थी। यह खतरा पैदा हो गया था कि ऐसी स्थिति सारे देश में पैदा हो सकती है। हर क्षेत्र में विशेषतया युवा पीढ़ी में अनुशासनहीनता फैल गई थी। विश्वविद्यालयों में हिंसात्मक घटनायें हो रही थीं। छात्र-विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में नहीं जाते थे। विपक्षी दलों द्वारा उन्हें ऐसा करने को उकसाया जा रहा था। निर्वाचित सदस्यों को धमकी दी जा रही थी तथा उन्हें त्यागपत्र देने को कहा जा रहा था। ऐसी स्थिति में यह उपाय करना जरूरी था। मुझे खुशी है कि आपात का देश भर में स्वागत किया गया। यह विधेयक अध्यादेश की जगह लेने के लिये लाया गया है।

यह कहा जा रहा है कि हमने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। वस्तुतः जो कुछ किया जा रहा है, वह लोकतंत्र को बचाने के लिये तथा देश में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये किया जा रहा है।

अध्यादेश लागू होने के बाद सरकार ने आनन्द मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), जमायते-इस्लामी जैसे कुछ संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। ऐसे संगठनों, जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, की संख्या 26 है। गैर-कानूनी घोषित किये गये ये संगठन इस प्रकार के कार्य कर रहे थे, जिससे देश की आन्तरिक शान्ति खतरे में पड़ सकती थी। इनमें से कुछ संगठन अर्द्ध-सैनिक संगठन थे। उनके कब्जे में खंजर और बन्दूकें मिलने से पता चल जाता है कि उनके इरादे क्या थे? इसलिये देश के लोगों ने इन संगठनों पर पाबन्दी लगाने का स्वागत किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान भारत रक्षा नियमों तथा आपात के अन्य उपायों का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना की ओर दिलाया है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिये हैं। यह बात नहीं है कि किसी दल विशेष के व्यक्ति को तंग किया गया हो।

यह बात संयोग की हो सकती है कि भारत रक्षा नियम और 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार कुछ व्यक्ति सी० पी० आई० अथवा मुस्लिम लीग के सदस्य हों। लेकिन ये कार्यवाही प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की गई थी जो कानून अथवा शान्ति को भंग करता हो। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय यह नहीं देखा गया कि वह किस राजनीतिक दल से सम्बन्धित है। गिरफ्तारी इस आधार पर नहीं की गई। लेकिन आँसुका और आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिये राज्य सरकारों को गिरफ्तारियां करते समय सावधानी बरतने के लिये कह दिया गया है और सभी सम्बन्धित कार्यालयों को निदेश दिये गये हैं कि भारत रक्षा नियम का उपयोग लोगों के लाभ के लिये ही किया जाये।

हमने राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखा हुआ है ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि जिन लोगों को भारत रक्षा नियम और आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है उनके मामलों का पुनरीक्षण हो। हमने उन्हें समय समय पर पुनरीक्षण करने के लिये कहा है ताकि यह पता चल सके कि क्या ये गिरफ्तारियां परिस्थितियों के अनुसार ठीक थीं अथवा नहीं।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि अवैध घोषित की गई संस्थाओं के कुछ सदस्यों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह सच है कि ऐसी संस्थाओं के कुछ सदस्य भूमिगत हैं और गिरफ्तार होने से बच रहे हैं। हम उन लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही हमने राज्य सरकारों को भी इन व्यक्तियों को पकड़ने के लिये कहा है। लेकिन साथ ही मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा इरादा इन संगठनों के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने का नहीं हैं और न ही यह राष्ट्र के हित में होगा। लेकिन जो व्यक्ति आन्तरिक अशान्ति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा उसे हम नहीं छोड़ सकते।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 11 विधेयक में जोड़े गये।
Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : " कि विधेयक पारित किया जाए "

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Some members have rightly pointed out that even today, we find a good number of followers of Anand Marg and RSS in Government offices. It appears that Government is unable to weed out such elements. The legislation being enacted by us should be used against such persons.

Government have no doubt banned RSS but its allies are yet to be banned. These organisations are carrying on anti-national activities and, therefore, they should be banned.

Government have banned strikes and lock-outs in fertilizer factories but in certain factories, the owners have resorted to lock-outs and are harassing the employees. Stern action should be taken against such elements.

There is no doubt that the emergency powers have been misused to take retaliatory action against the political opponents. In Bihar, many CPI workers have been arrested. In certain cases, children in the 9—13 age group have also been arrested under DIR. Such misuse should be stopped.

The railway employees whose services had been terminated in the wake of last railway strike should be reinstated. The late Shri L. N. Mishra had issued orders for the reinstatement of Sarvashri T. N. Upadhya and Chatterjee of Mughal Sarai and Sarvashri Maulvi Ram and Jhamman Kundu of Jhajha. But the Railway Board has not implemented these orders. Railway Board should be taken to task for this negligence.

श्री एफ० एच० मोहसिन : विदेशी मुद्रा के प्राप्त किये जाने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। हमें पता चला है कि कुछ संगठन तथा कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। देश में विदेशी मुद्रा के आगमन को रोकने और उसे नियमित करने हेतु हमने एक विधेयक पेश किया है। वो प्रवर समिति के पास है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो देश में गड़बड़ मचाने के लिये विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं। हम उनके विरुद्ध आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

यह भी कहा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों का प्रतिबन्धित संगठनों से सम्बन्ध है। ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इन प्रतिबन्धित संगठनों से सम्बन्धित पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) विधेयक

THE KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) BILL.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि केरल राज्य की वर्तमान विधान सभा की अवधि के विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि केरल राज्य की वर्तमान विधान सभा की अवधि के विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चूंकि हमारे देश में अत्यन्त विशेष परिस्थितियां है और आपातस्थिति की घोषणा की गई है, इसलिये राज्य विधान सभा के चुनाव कराना सम्भव नहीं है।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair.*]

अतः केरल विधान सभा की अवधि के विस्तारण को राज्य की जनता द्वारा स्वागत किया जायेगा।

केरल को देश का समस्या-प्रधान राज्य कहा जाता है जहां कई दशकों से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है। गत लगभग 5 वर्षों में वर्तमान सरकार पहली बार सफलतापूर्वक शासन चला सकी है।

देश में यह पहली सरकार है जिसने कानून बनाकर सामन्तवाद को समाप्त किया है। इसी सरकार ने खेतीहर मजदूरों के लिये सार्थक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया है तथा निजी वनों को मुआवजा दिये बिना उनका राष्ट्रीयकरण किया है। अतः यह कहना निरर्थक है कि यह जन-विरोधी सरकार है, जैसा कि मार्क्सवादी दल कहता है।

हमारे राज्य के लोगों ने मार्क्सवादी दल की विचारधारा का कभी भी समर्थन नहीं किया। इसीलिये आपातस्थिति की उदघोषणा के बाद जब इस दल ने एक संकट पैदा करने का प्रयास किया और बन्द का आह्वान किया तो यहां भी जनता ने इसका समर्थन नहीं किया। जनसाधारण से बिल्कुल अलग हुए मार्क्सवादी दल को केरल में विघटन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

केरल गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। यहां खाद्य समस्या निरन्तर बनी रहती है। यह कमी वाला राज्य है। केरल में केन्द्र द्वारा खाद्यान्न की सप्लाई के बिना यहां कोई सरकार लोकप्रिय नहीं हो सकती है क्योंकि यहां लोग भूखे मरने लगते हैं। मुझे खेद है कि केन्द्रीय सरकार अपने वचनों को कभी भी पूरा नहीं करती है। केन्द्र को अब भी कुछ खाद्यान्न की सप्लाई करनी चाहिये क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व 'ओनम' निकट आ गया है।

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

एक प्रमुख समस्या यह है कि नारियल के मूल्य गिर गये हैं। नारियल हमारे राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पाद है। इस सम्बन्ध में केरल के सभी दल संगठित हैं कि नारियल उत्पादक को नारियल का उचित मूल्य मिलना चाहिये।

दूसरी समस्या बेरोजगारी की है। हमारे राज्य में बहुत से लोग, विशेषकर शिक्षित, बेरोजगार हैं। अन्य लोगों में भी बेरोजगारी है। इस समस्या का हल इस बात में निहित है कि सरकार केरल के परम्परागत उद्योगों--नारियल जटा, काजू और हथकरघा को किस सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में सफल होती है।

मैं इस विधेयक का समथन करता हूं क्योंकि इस विधेयक के बिना जो केरल विधान सभा का समय बढ़ाने के लिये लाया गया है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जायेगा, जो हम नहीं चाहते।

***श्री वयालार रवि** (चिरचिकील) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरे विचार में सभी वर्गों के लोग इसका समर्थन करेंगे। केरल में 1952 के बाद से कई सरकारें बनीं और समाप्त हुईं। केरल के इतिहास में पहली बार यह सरकार पूरे पांच वर्ष चली और लोगों ने इसका समर्थन किया। वर्तमान सकार लोगों की भलाई के उद्देश्य को सामने रखकर शासन चला रही है। कई प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं जिससे कर्मचारियों और गरीब जनता को काफी लाभ हुआ है।

मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि केरल के लोग भी विधान सभा की कार्यावधि बढ़ाने के पक्ष में हैं। अतः मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। देश भर में केरल ही पहला राज्य है जिसने कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदरी सम्बन्धी विधेयक पारित किया है। केरल के लोगों को वर्तमान संयुक्त मोर्चे की सरकार पर पूरा विश्वास है। वहां के भूमिहीन तथा आवासहीन लोगों को 86,000 घर उपलब्ध किये जा चुके हैं। केरल के लोग चाहते हैं कि वर्तमान सरकार वहां बनी रहे। केरल सरकार ने लोगों के सक्रिय सहयोग द्वारा हर पंचायत में एक अस्पताल स्थापित कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केरल सरकार की उपलब्धियों के बारे में मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। केरल के माकसिस्ट नेताओं ने दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों तथा जनसंघ से गठजोड़ किया है। जनसंघ ने वहां साम्प्रदायिकता के बीज बोये हैं। यह बात दुख की है कि श्री नम्बुदरीपाद ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को समर्थन देने के लिये अपना हाथ बढ़ाया है। मार्क्सस्ट दल अब लोगों का शोषण करने के लिये प्रतिक्रियावादी दलों की कठपुतली बन गया है। सारांश यही है कि वहां की वर्तमान सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। अतः इस सरकार को बने रहना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : (पुनतुपुजा) : पांच वर्ष पहले 22 अक्तुबर, 1970 को जब केरल विधान सभा बनी तो बहुत से लोगों ने यह भविष्यवाणी की थी कि कोई सरकार पाच वर्ष तक नहीं रहेगी। बहुत से लोगों ने सरकार को गिराने का प्रयत्न किया परन्तु यह पांच वर्ष तक चली और अब संसद इसका समय छः महीने और बढ़ा रही है।

वहां आज की संयुक्त मोर्चे की सरकार में भारतीय साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, आर० एस० पी० तथा समाजवादी दल शामिल हैं। इस सांझे मोर्चे की सरकार ने इस पांच वर्ष की अवधि में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनका अनुकरण अन्य राज्य सरकारों को भी करना चाहिये। केरल में भूमि सुधार कानून सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये गये हैं। काश्तकारी सुधार किये गये है। यह भी निर्णय

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.**

किया गया है कि भूमि काश्तकारों की ही होगी, गरीबों को रहने के लिये मकान मिलेंगे और केरल में इसके लिये 85,000 मकान बनाये गये हैं। निजी उद्योगों को कोई मुआवजा दिए बिना राष्ट्रीयकरण किया गया। केरल में कपड़ा मिलें बन्द हो गयी। उनका राष्ट्रीयकरण करके लोगों को रोजगार दिया गया। कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने से बहुत कम हानि हुई। यह स्थायी सरकार के कारण ही सम्भव हो सका। यह विधेयक आपातकालीन स्थिति के कारण लाया गया है। इस प्रकार की सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी सहायता दी जानी चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : केरल की वर्तमान सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इसने अनेक प्रगतिशील कदम उठाये हैं। केरल के इतिहास में पहली बार एक सरकार ने पांच वर्ष तक निरन्तर कार्य किया है।

यदि सामान्य परिस्थितियां होती तो विधान सभा भंग हो जाती और श्री अच्युत मेनन लोगों के बीच पहुंच जाते लेकिन अपनी सेवाओं के कारण उन्हें लोगों का पूर्ण समर्थन मिला है। यह इस विधेयक के नियम को पूर्वोधारण के रूप में लिया जाये तो अन्य मुख्य मंत्री भी विधान सभा की अवधि बढ़ाने के लिये प्रधान मंत्री के पास पहुंचेंग। लेकिन केरल की विधान सभा की अवधि का बढ़ाने का काम असामान्य परिस्थितियों के कारण करना पड़ा है लेकिन इसे अन्य राज्यों की विधान सभाओं की अवधि बढ़ाने के लिये पूर्वोधारण न बना लिया जाये।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि आपातकालीन स्थिति शीघ्र ही समाप्त कर दी जायेगी और अच्चुत मेनन तथा उनके सहयोगी जनता का समर्थन द्वारा प्राप्त करेंगे।

श्री हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : केरल विधान सभा की अवधि को छः महीने के लिये बढ़ाने हेतु जो यह विधेयक लाया गया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। संवैधानिक उपबंध के अनुसार विधान सभा की अवधि एक साल तक के लिये बढ़ायी जा सकती है लेकिन विधेयक में इसकी अवधि केवल छः महीने तक बढ़ाने की व्यवस्था है। इससे यह स्पष्ट है कि विधान सभा की अवधि का विस्तारण चुनावों से बचने के लिये नहीं अपितु देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किया जा रहा है।

वर्तमान सरकार ने अद्वितीय कार्य किये हैं। इससे न केवल राजनैतिक स्थिरता आई है बल्कि इसने अपना ध्यान सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यो पर भी केन्द्रित किया है।

श्री टी० ए० पाई द्वारा चलायी गयी मलंद विकास परियोजना से न केवल केरल को ही लाभ पहुंचेगा अपितु इससे इसके साथ वाले राज्य तमिलनाडु और मैसूर भी लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के क्रियान्वयन में तीनों राज्यों को मिलजुलकर काम करना चाहिये।

अतिरिक्त मसालों के पौधों को लगाकर बन क्षेत्रों और पर्वत-क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इससे हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा की आय होती है। इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान हमने इलायची, रबर, लौंग. चाय, काफी आदि का निर्यात किया है। बागान निगम को बनाने के अतिरिक्त अन्य अनेक परियोजनाओं का लिया गया है।

इस राज्य के पश्चिमी तट पर एक नील क्रांति शुरु की गयी है। उदाहरण के लिये 1953 में राज्य ने समुद्री भोजन का निर्यात प्रारम्भ किया। लेकिन पिछले पांच वर्षो के दौरान विदेशों को भेजे जाने वाली झींगा मछली, मेंढक की टांगे तथा कई अन्य समुद्री भोजन की किस्मों से होने वाली आय 100 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है।

[श्री हेनरी ओस्टीन]

वर्तमान सरकार ने प्रत्येक तालुक में एक कालिज स्थापित किया है। इस समय इस छोटे से राज्य में 136 कालेज हैं जो कि एक महान उपलब्धि है। प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल है। इस मंत्रीमंडल की अन्य उपलब्धि इसके शासन के अन्तर्गत बिछाया गया सड़कों का जाल है और अब दूर दराज के गांवों में भी बसों के जाने की व्यवस्था है और अब ऐसा लगता है कि सारा केरल मानों एक बड़ा शहर हो। केरल में जमींदारी प्रथा नहीं है। कृषि सुधारों के अन्तर्गत सरकार ने लाखों लोगों को भूमि का आवंटन किया है।

***श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** (मंजेरी) : आपातकालीन स्थिति में केरल विधान सभा की अवधि बढ़ाये जाने के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं था। ऐसा किसी को नही समझना चाहिये कि कार्यविधि बढ़ाना एक अभूतपूर्व कदम है। अन्य राज्यों के मामलों में भी पहले ऐसा किया गया है। केरल राज्य की बहुमुखी समस्याओं का समाधान कुछ नौकरशाह नहीं बल्कि वहां की लोकप्रिय सरकार ही कर सकती है। केरल में खानों तथा अन्य साधनों की कमी है। यदि सरकार इदीकी, कुटियाडी, कलडा जैसी परियोजनाओं के लिये आर्थिक सहायता दे तो हम बिजली के मामले में न केवल आत्म निर्भर होंगे बल्कि तमिलनाडु, मैसूर जैसे पड़ोसी राज्यों को भी हम बिजली की सप्लायी कर सकते हैं। रबड़, काफी, चाय आदि के निर्यात द्वारा केरल देश के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। लेकिन खेद है कि केन्द्रीय सरकार हमारी ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। केरल में लोकप्रिय सरकार के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने टेलीविजन सैट, प्रिंटिंग मशीने, उर्वरक तथा अन्य चीजें बनाने के लिये लाईसेंस सम्बन्धी हमारे आवेदय पत्र केन्द्रीय सरकार के पास पड़े हैं। केन्द्रीय सरकार को इन आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय ले लेना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को केरल में बेरोजगारी दूर करने के लिये भी उचित सहायता प्रदान करनी चाहिये। परन्तु देश के अन्य भाग में क्या स्थिति है। प्रत्येक राज्य एक स्वतंत्र देश की भांति व्यवहार कर रहा है। अन्य राज्यों के लोगों के लिये उन में कोई स्थान नहीं है। प्रधान मंत्री के हाथ में सुदर्शन चक्र है। इस का प्रयोग जनता में यह जागृति पैदा करने के लिये किया जाना चाहिये कि सब इस देश के वासी है तथा देश का हर व्यक्ति जीवनोपार्जन के लिये जहां चाहे जा सकता है। केरल की लड़कियां विश्व के अनेक देशों में नर्सों के रूप में लोगों की सेवा कर रही हैं। वे देश में भी तथा विश्व में कहीं भी काम करने को तैयार है। इस लिये उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहियें। केरल की समस्याओं पर पृथक रुप से विचार किया जाना चाहिये।

मार्क्सवादी दल का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने जनसंघ के साथ सांठगांठ की थी। तथापि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां लोकतंत्री शक्तियां सशक्त हैं तथा वे उन की दाल नहीं गलने देंगी। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** (कासरगोड) : मैं केरल विधान सभा का कार्यकाल छः महीने तक और बढ़ाने वाले विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। केरल सरकार ने आपात का समर्थन किया है तथा वह प्रधान मंत्री के 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कृत संकल्प है। केरल सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में अनेक सफलतायें प्राप्त की है तथा केरल सरकार को अपने

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

आप में यह एक महान सफलता है कि वह पांच वर्ष तक चलती रही । केरल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक लोकतंत्री सरकार पांच वर्षों तक चलती रही है अन्यथा वहां तो जल्दी जल्दी सरकारों का पतन होता रहा है । केरल की जनता वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार को चाहती है । अत : यदि पुन : चुनाव हों, तो वर्तमान सरकार ही सत्ता में आयेगी । केन्द्रीय सरकार ने केरल की जनता की भावना को समझ लिया है और इसी लिये वर्तमान विधान सभा की पदावधि बढ़ायी जा रही है, क्योंकि आपात के दौरान चुनाव कराना अव्यवहारिक है ।

कुछ राजनीतिक दलों ने आपात तथा तदुपरांत उठाये गये कदमों को अलोकतंत्री बताया है । परन्तु वस्तुत: उन विपक्षी दलों विशेषतया साम्यबादी दल (मार्क्सवादी) की गतिविधयां अलोकतंत्री हैं । उन्होंने केरल सरकार की नीतियों तथा कर्यक्रमों को विफल बनाने के लिये अनेक प्रयत्न किये हैं । वे राज्य में अराजकता फैलाना चाहते थे । उन्होंने खुले तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा कर्मकारों को आन्दोलन करने के लिये उकसाया था । केरल सरकार ने उनकी चुनौती स्वीकार की तथा जनसहयोग से उन के सब प्रयास विफल कर दिये । केरल सरकार को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है तथा उस ने शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था, भमि सुधार तथा अन्य कार्यों में अनेक सफलतायें प्राप्त की हैं । यद्यपि राजनैतिक पर्यवेक्षकों ने केरल को समस्या प्रधान राज्य की संज्ञा दी है, तथापि मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने राजनैतिक अस्थिरता को समाप्त कर दिया है ।

अब चूंकि केरल सरकार की कार्यावधि बड़ाई जा रह है, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि केरल की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाये । केरल के समक्ष अनेक समस्याएं है, जिनको तुरन्त हल किये जाने की आवश्यकता है । केरल के हथकर्घा उद्योग के विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । केरल में बने क्रेप कपड़े से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । परन्तु इस समय यह उद्योग संकट में है । शक्ति चालित कर्घा उद्योग को भारी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है । इस बारे में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

जहां तक औद्योगिकीकरण का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि कालकट क्षेत्र में लौह अयस्क, नम्बरवार में बोक्साइड के भारी निक्षप मौजूद हैं । इन निक्षेपों का औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाना चाहिये । राज्य सरकार ने नौवहन निगम स्थापित करने का निर्णय किया है । इससे राज्य को बहुत लाभ होगा । केन्द्रीय सरकार को केरल के औद्योगिक विकास के लिये समुचित सहायता देनी चाहिये ।

श्री पी० एम० सईद : (लक्कादीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह) : इस समय सभा केरल विधान सभा की कार्यवधि बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा कर रही है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र केरल के बहुत निकट है तथा केरल की राजनीतिक घटनाओं का हमारे द्वीप पर सीधा प्रभाव पड़ता है । केरल की वर्तमान सरकार ने भारत की राजनीति में एक नया उदाहरण पेश किया है । केरल की वर्तमान सरकार में पांच राजनीतक दल शामिल हैं तथा उन्होंने अपने कार्य से जनता की सराहना प्राप्त की है । इस लिये इस सरकार की अवधि को छ: महीने और बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव सराहनीय है, परन्तु इसे अन्य राज्यों के लिये पूर्वोदाहरण नहीं मानना चाहिये, क्यों कि सरकारें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी

[श्री पी० एम० सईद]

भी । वे सरकार इस उदाहरण का लाभ उठा कर अपनी अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकती हैं । इस लिये मेरा अनुरोध यह है कि किसी को भी शक्ति का दुरुपयोग किये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

केरल को हमेशा समस्या प्रधान राज्य कहा जाता रहा है । इस की मुख्य समस्यायें चावल की कमी तथा बेरोजगारी हैं । इन समस्याओं को हल करने के लिये तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। लक्ष्यद्वीप के 50 प्रतिशत रोजगार के अवसर केरलवासियों को प्राप्त होते हैं । अत : यदि केरल में रोजगार के अवसर उपलब्ध किये गये, तो यह लक्ष्यद्वीप की भी भारी सेवा होगी ।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सभा के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त होगा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि विभिन्न दलों से सम्बन्धित अनेक सदस्यों ने इस विधयक पर वाद विवाद में भाग लिया है । उन्होंने वर्तमान सरकार तथा उसकी सफलताओं की सरहना की है ।

केरल में जन संख्या बहुत अधिक है । परन्तु साथ साथ वहां साक्षरता भी बहुत अधिक है । केरल के लोग अपने आपको हर वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं । उन्होंने राष्ट्रीय एकता में बहुत योगदान दिया है । केरल के लोग देश के विभिन्न भागों तथा देश के बाहर भी विभिन्न धन्धों में लगे हुए हैं । उनकी विशेषता यह है कि वे अपने आपको वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं ।

केरल राजनीतिक अस्थिरता का केन्द्र रहा है । श्री चन्द्रप्पन ने इस बात का अति सुन्दर चित्रण किया था कि वहां किस प्रकार सरकारें बदलती रही तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य के आर्थिक विकास में कितनी रूकावट आई । वर्तमान सरकार ने वहां राजनीतिक स्थिरता कायम की है, इस लिये वह सरहना की पात्र है ।

केरल में, जैसा कि डा० आस्टिन ने कहा था, कृषि क्रांति हुई है । समूचा केरल औद्योगिक-कृषि और आर्थिक कार्यकलापों से गूंज रहा है । वहां सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे हैं । सब माननीय सदस्यों ने इस की सरहना की है, परन्तु वे चाहते हैं कि वहां अधिक से अधिक और उद्योग स्थापित किये जायें ।

वर्तमान विधेयक में केरल विधान सभा की कार्यावधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । यदि वर्तमान केरल विधान मंडल की कार्यावधि न बढ़ाई जाती, तो इस का कार्यकाल 25 अक्तूबर 1975 को समाप्त हो जाता । लेकिन संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत की गई आपात स्थिति की उद्-घोषणा के दौरान संसद कानून बना कर इस की अवधि का विस्तार कर सकता है । आपात स्थिति के दौरान समूचे प्रशासन का सुधार किया जाना है और प्रशासन व्यवस्था को आर्थिक विकास की दिशा के ओर अग्रसर करना है । अनेक आर्थिक सामाजिक कार्यकलाप आरम्भ करने हैं । ऐसी स्थिति में वहां चुनाव कराना अति कठिन है । अत : मैं सदन से प्रस्ताव करती हूं कि केरल विधान सभा की अवधि छः महीने के लिये और बढ़ाई जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि केरल राज्य की वर्तमान विधान सभा की अवधि का विस्तारण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया है ।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

कि खन्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सरोजिनी महिषी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सरकारी भाषा सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE: APPOINTMENT OF A COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"जबकि सरकारी भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन, धारा 3 के लागू होने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सरकारी भाषा संबंधी समिति के गठन के बारे में संसद् की किसी भी सभा में संकल्प पेश किए जाने और दोनों सभाओं द्वारा उसे पास किए जाने के बाद उक्त समिति का गठन किया जायेगा और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 3, 26 जनवरी, 1965 से लागू हो गयी है और जबकि संकल्प पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

[श्री ग्राम मैहता]

यह सभा संकल्प करती है कि एक सरकारी भाषा सम्बन्धी समिति गठित की जायेगी।"

The official languages Bill was passed in 1963 and it was made effective from the 26th January, 1965. It has been provided in Section 4(1) of the said Act that a Parliamentary Committee, consisting of 20 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha would be constituted at the expiration of a period of 10 years from the date on which the said Act came into force. The Resolution is being presented in fulfilment of the said provision of the Bill.

This resolution was brought in the last session also but the proposed Committee could not be constituted as our friends opposite put obstacles in the way of adopting this Resolution by bringing a no confidence motion. Had this Committee been constituted, some work would have been done by now. But the constitution of this Committee has been delayed by three months.

The proposed Committee will present their report to the President and the President will cause it to be laid on the Table of both the Houses of Parliament. The report of the said Committee will also be circulated among the various States. The recommendations of both the Houses of Parliament and that of the States will be submitted to the President for his consideration.

Much progress has been made during the last three years in the use of Hindi for official purposes. Hindi training has been imparted to three lakh Government servants, so that they may do their official work in Hindi.

During 1970 only six thousand letters were received in Hindi, whereas the receipt of Hindi letters has increased to 26 thousands in 1974. This shows that much progress has been made in the use of Hindi.

Recently a separate department of languages has been set up in the Government of India under the special orders of the Prime Minister. The newly set up department has been placed under the charge of a Secretary. So a separate department of languages has been established recently.

In addition to this a centralised cadre has been constituted for all the employees working against Hindi posts in various Ministries. This has been done to ensure proper co-ordination of the work done in Hindi in various departments.

In view of the fact that there was no National Library in Delhi so far, a national library named Tulsi Sadan has been set up in Delhi which houses books in Hindi and other regional languages.

There is an advisory Committee attached to each Ministry to see whether the instructions of the Home Ministry in regard to the progress of official language are being properly implemented or not. The Members of Parliament are also represented in these Committees.

In addition, there is a Central Hindi Committee working under the Chairmanship of the Prime Minister to see that the progress of Hindi is satisfactory and that necessary steps are being taken for the promotion and propagation of Hindi.

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि दिल्ली में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिस में न केवल हिन्दी अपितु अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी हैं । क्या वह बतायेंगे कि अन्य भाषाओं की पुस्तकें कितनी हैं ?

श्री ओम मेंहता : वह पुस्तकालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसमें अन्य भाषाओं की पुस्तकें कितनी हैं । परन्तु यह तथ्य है कि उसमें सब भारतीय भाषाओं की पुस्तकें ह ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"जबकि सरकारी भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, धारा 3 के लागू होने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सरकारी भाषा संबंधी समिति के गठन के बारे में संसद् की किसी भी सभा में संकल्प पेश किए जाने और दोनों सभाओं द्वारा उसे पास किए जाने के बाद उक्त समिति का गठन किया जायेगा और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 3, 26 जनवरी, 1965 से लागू हो गयी है और जबकि संकल्प पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

यह सभा संकल्प करती है कि एक सरकारी भाषा सम्बन्धी समिति गठित की जायेगी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

सरकारी भाषा सम्बन्धी समिति

श्री ओम महता : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सरकारी भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में की जाने वाली सिफारिशों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिए गठित समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय

[श्री ओम महता]

मत द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में की जाने वाली सिफारिशों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिये गठित समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बैंककारी सेवा आयोग विधेयक
Banking Service Commission Bill

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि कतिपय बैंककारी संस्थाओं में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्मिकों के चयन के लिए आयोग की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये एक आयोग की स्थापना करने का उपबन्ध करना है । यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है ।

प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जनशक्ति का आयोजन और विकास एक महत्वपूर्ण बात हो गई है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इनका मुख्य दायित्व उन क्षेत्रों में बककारी सुविधायें उपलब्ध करना है, जहां अब तक यह सुविधायें नहीं थीं । योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के सहयोग के बिना बैंकों को अपना कार्य करने में कठिनाई पेश आयेगी । प्रतिवर्ष शाखाओं के बढ़ने पर इन बैंकों में 20–25 हजार युवक और युवतियां भर्ती करनी होती हैं । इस लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी भर्ती के लिये समुचित प्रक्रिया निर्धारित की जाये, ताकि बैंकों में भर्ती का आधार आवश्यक योग्यता और कुशलता हो ।

[श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए]

[SHRI G. VISWANATHAN *in the Chair.*]

इस उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया का काफी समय से अध्ययन किया जा रहा था । बैंककारी आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ भर्ती सम्बन्धी नीतियों को भी सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया है । उसने यह सिफारिश की है कि बैंकों में क्लर्कों और कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग की तरह एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाये । इसीलिए यह विधेयक लाया गया है ।

विधेयक में संघ लोक सेवा आयोग के समान बैंककारी सेवा आयोग के नाम से एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना करने का उपबन्ध किया गया है । आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा उस के सदस्यों की संख्या आठ से अधिक नहीं होगी । अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि एक निश्चित समय के लिये होगी तथा आयोग की सदस्यता से निवृत्त होने के बाद वे सरकार अथवा किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान में पद ग्रहण करने के पात्र नहीं होंगे ।

आयोग के क्षेत्राधिकार में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक आयेंगे, जिन में भारतीय स्टेट बैंक, उस के सात सहायक बैंक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं । इन सभी बैंकों में क्लर्कों तथा निचले स्तर पर अधिकारियों की भर्ती का कार्य इस आयोग की जिम्मेदारी होगा ।

इस से इन सभी बैंकों में भरती संबंधी योग्यता एवं पात्रता में समानता लाई जायेगी। एक बाहर के स्वतंत्र आयोग द्वारा भरती किए जाने से पक्षपात तथा भाई भतीजावाद की कोई शिकायत भी नहीं होगी। भरती संबंधी योजना आयोग द्वारा इस तरह से बनाई जायेगी जिससे बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों के लोग आ सकें । आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय होंगे और वह सुनिश्चित ढंग से भरती करेगा ।

हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आयोग सरकार द्वारा भरती के लिए निर्धारित सिद्धान्तों और स्तर को बनाये रखे । आजकल सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं । विधयक में विशेष व्यवस्था की गई है कि आयोग स्थानों को सुरक्षित करने की व्यवस्था करे जैसाकि सरकारी सेवा के लिए भर्ती के लिए सरकार अपनाती है ।

आयोग के व्यय को संबंधित बैंक वहन करेंगे और सरकार को कुछ व्यय नहीं करना पड़ेगा। आयोग कर्मचारियों की भरती और उन्हें विभिन्न बैंकों में नियुक्त करने के लिए स्वय प्रक्रिया निर्धारित करेगा ।

इस आयोग की स्थापना से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में भरती के सम्बन्ध में निष्पक्षता और समानता आयेगी तथा बैंकारी उद्योग के लिए सही व्यक्तियों की नियुक्ति करने में सहायता मिलेगी ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): This is a long awaited Bill and it should have been brought forward long before. Favouritism and nepotism are rampant in the matter of recruitment of personnel for our nationalised banks. Reports have been received that in a certain bank, persons belonging to a particular community only are taken in the services. Therefore, in order to nationalise and regularise the system of recruitment in the nationalised banks introduction of this Bill had become necessary. This Bill is a right step in this direction.

I want that branches of the commission should be established in all States. This will facilitate recruitment of persons belonging to that particular region and well-versed with the language and problems of that region. This bill bring uniformity in the matter of recruitment of local persons belonging to that region or state.

Government should take over those foreign and Indian Banks which have not so far been nationalised. Public sector banks should also brought under the pursuance of this Bill so that corruption and malpractices rampant in these banks may be eliminated.

More opportunities should be provided for class III and class IV employees of the banks for their promotion in officers' cadre. System of temporary

[Shri K. M. Madhukar]

appointments in the banks should be abolished because it is a source of favouritism. Employees should be given representation in this commission. The bureaucrats should not be allowed to have a tight grip on the functioning of the commission; otherwise the whole objective of this commission will be defeated. The set up of this commission should be democratic.

Provision has been made in this Bill for reservation for scheduled castes and scheduled tribes in recruitment for the banks. But there is no mention of the percentage of reservation for these communities. Therefore the percentage of reservation for scheduled castes and scheduled tribes and minorities should be specifically mentioned as Government follows for recruitment to public services.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । बैंक सेवा का उद्योगों, वाणिज्य एवं कृषि के लिए बहुत अधिक महत्व है । वस्तुत: आधुनिक अर्थव्यवस्था की भली प्रकार से चलाना ऋणों को नियमित करने पर निर्भर करता है जिसका संबंध बैंकों से है । अत: बैंकों में कर्मचारियों की भरती करने का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

बैंकिंग आयोग ने ऐसे आयोग की स्थापना करने की सिफारिश 1972 में अपने प्रतिवेदन में की थी । लेकिन सरकार इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक विधेयक को विलम्ब से लाई है। 1971 के अन्त में भारत में वाणिज्यिक बैंकों की 12,000 शाखायें भी और उनमें 2,30,000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते थे।

राष्ट्रीयकरण से पहले कुछ बड़े वाणीज्यिक बैंकों ने कर्मचारियों की भरती के लिए अपना प्रबन्ध कर रखा था । लेकिन यह प्रबन्ध बड़े अधिकारियों की भरती के लिए भी पर्याप्त नहीं। बैंकों में अधिकतर क्लर्क और कोषपाल ही हैं । राष्ट्रीयकरण से पहले अधिकांश भारतीय बैंकों को भरती संबंधी नीति वैज्ञानिक अथवा सुनियोजित नहीं थी । अयोग्य व्यक्तियों की भरती की जाती थी ।

अत: विधेयक का स्वागत है । इसमें भरती संबंधी नियमों को सुनियोजित और सुव्यवस्थित बनाया गया है । इसमें बैंककारी आयोग की स्थापना करने का उपबन्ध है । आयोग का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार क्लर्क और संबंधित संवर्गों जूनियर अधिकारियों और ऐसे ही अन्य अधिकारियों की भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा यें करना है । विधेयक में क्लर्कों की भरती के मामले पर अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि वहां क्लर्कों की अधिक जनशक्ति हैं और ये ही अधिक संख्या में कार्य करते हैं तथा लोगों को बैंकों की सेवाएं प्रदान करते हैं । बैंकों में क्लर्कों की भरती के लिए योग्य एवं प्रतिभाशील व्यक्तियों की खोज कीं जानी चाहिए । योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए यह खोज अधिकारी वर्ग में भी की जानी चाहिए । बैंकों का कार्य बढ़ने पर हमें विशेषज्ञों, इंजीनियरों की आवश्यकता होगी । इनकी भरती के मामले पर भी आयोग को विचार करना चाहिए ।

विधेयक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है । यह प्रतिशतता सामान्य सिद्धान्तों तथा बैंकों में होने वाली भरती के आधार पर निश्चित की जानी है । एक उपबन्ध के अनुसार यह आयोग परामर्शदाता का कार्य करेगा जिसके अनुसार भरती तथा पदोन्नति और वरिष्ठता संबंधी समस्याओं की हल करेगा ।

विधेयक के अन्तिम खण्ड में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि सरकार चाहे तो इस विधेयक को अन्य बैंकों पर भी लागू किया जा सकता है । यदि बैंककारी आयोग अन्य बैंकों को भी अपने क्षेत्राधिकार में लायेगा तो इससे सभी बैंकों में भरती के सिद्धान्तों और नियमों को एक समान बनाया जा सकता है । अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): Sir, this is a long awaited Bill and I support it. But the malpractices rampant in recruitment procedure will not be eliminated by this measure. Moreover there is great difference in the pay structure of the banking institutions and other departments of the Government. The bank employees are getting higher pay than those working in the other departments of the Government. This anomaly should be removed, because it has created heart burning and discontentment among other classes of employees.

The Bill provides that the commission will open its regional offices. But these offices might be in one state or have jurisdiction in one or more states. Therefore, I suggest that the commission should open its offices in each state so that candidates belonging to every state can be equally benefited.

Nationalised banks should change their basic approach towards weaker sections of the society. Apart from making reservations in the appointments for scheduled castes and scheduled tribes they should extend their services not only to those who can furnish security but to those also who belong to the weaker sections of the society and to rural people and cannot afford any guarantee.

Provisions have been made in clauses 13 and 15 of the Bill that banks can make temporary appointments for one year. But this provision is likely to be misused because it will open doors for back door entry into the banks, and only those persons will be recruited who had been appointed temporarily for one year so Government should look into it and both these clauses should be removed from the Bill. The other commercial and similar institutions should also be brought under the purview of this commission in respect of recruitment of all categories.

Persons having special knowledge of finance, economics and those who have rural bias and intimate and personal knowledge of the banking requirements of rural areas should be included in the commission so that the commission can fully understand the requirements of the rural sector. This will remove bureaucratic attitude and regional imbalance.

With these words I support this Bill.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): Sir, I agree that the members of this commission should be highly qualified so that they can recruit most suitable persons. There is a provision for opening regional offices in various regions of the country. But the number of these regional offices should be very large

[Shri Darbar Singh]

and their area of jurisdiction should be very small so that the people of that region can have opportunities in the matter of recruitments and as such regional imbalances will be removed.

Government should take necessary precaution to see that the right reactionary and communal elements do not enter into the services of nationalised banks and vitiate the atmosphere. In order to enable the banks to play constructive role in building our economy the entry of such elements should be banned, because they can have disastrous effect.

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण कल जारी करें ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 जुलाई, 1975/8 श्रावण, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 30, 1975/Sravana 8, 1897 (Saka).

GMGIPND—Job I.-1264 L.S.—1229—25-9-75—200

274(13)
3.10.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hndi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1295 LS—1